20-10-21 पत्रावली पेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया गया। राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप खण्ड अधिकारी, चाकसू द्वारा दी गई टिप्पणी से उपलब्ध कराई गई सूचना का अवलोकन किया गया। सूचना के अधिकार के अन्तर्गत परीवादी सूचना जो प्रार्थी द्वारा चाही है उनके सम्बन्ध में उपलब्ध कराई गई सूचना सन्तोषजनक नहीं होने से पूर्ण होना अस्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध कराकर निर्णय सूचना दी जावे।

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

D/Faisal/Rti New Files